न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

केम्प – कावलियाकलां

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :201/2017

–:: वादी ::– बनाम –:: प्रतिवादी ::–

1. चन्दनसिंह पुत्र शेरसिंह जाति राजपूत उम्र 46 वर्ष निवासी फालका तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

1. तहसीलदार जैतारण जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.01/11/2017

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरुप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

2. तहसीलदार जैतारण उपस्थित।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 04/05/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा फालका पटवार हल्का फालका में वादी की अन्य सहहिस्सेदारों के साथ खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई है जो निम्न प्रकार है– खसरा नम्बर 367 रकबा 22 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 663 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1053 रकबा 20 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 675 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1040 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 1052 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा कुल 6 खसरा कुल रकबा 113 बीघा 02 बिस्वा है। उपरोक्त अनवान की आराजी में वादी अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वाद का एक आवश्यक भाग माना जावें। यह है कि उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी के पिता शेरसिंह जी के फौत होने के बाद जो फौतेदगी म्यूटेशन वादी व उसके भाईयों के नाम पारित किया गया तब तत्कालीन आर आई, पटवारी ने वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में चन्द्रसिंह इन्द्राज कर दिया जो कि एक रोंग एन्ट्री है। जबकि वादी का सही नाम चन्दनसिंह है। तथा वादी के सभी सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, जॉब कार्ड एवं ड्राईविंग लाईसेंस आदि में उसका यही नाम चन्दनसिंह इन्द्राज है। एवं गांव में सभी जगह वादी को चन्दनसिंह के नाम से जाना व पहचाना जाता है। परन्तु एक मात्र राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम चन्द्रसिंह रोंग एन्ट्री के आधार पर गलत दर्ज कर दिया है जो लगातार आज दिन तक चला आ रहा है जिसे दुरुस्त कर सही नाम चन्दनसिंह इन्द्राज किये जाने बाबत् वादी की ओर से यह वादपत्र घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादी का गलत नाम राजस्व रेकर्ड में चन्द्रसिंह इन्द्राज हो जाने से वादी को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें वादी अपनी आराजी में सरकारी योजनाऐं जैसे कि बैंक ऋण लेना, विधुत संबंध लेना तथा अपनी पैदावार को राजफेड में बेचना आदि सभी योजनाओं से वादी एक मात्र राजस्व रेकर्ड में नाम गलत दर्ज हो जाने से वंचित चला आ रहा है। जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेज जो इस वादपत्र के साथ पेश किये है उनमें सही नाम चन्दनसिंह इन्द्राज है इसलिए राजस्व रेकर्ड में भी वादी का गलत नाम चन्द्रसिंह हटाकर के सही नाम चन्दनसिंह दुरुस्त किया जाना आवश्यक है इसलिए वादी के पास वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज हो जाने की जानकारी वादी ने जब अपनी उक्त आराजी में सरकारी ऋण लेने हेतु आवेदन किया तो राजस्व रेकर्ड में नाम गलत होने से उसको ऋण नहीं दिया गया जिस पर वादी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

ने राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त कर प्रतिवादी को नाम दुरूस्त का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 20.9.2017 को प्रतिवादी ने नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर कहा कि संबंधित न्यायालयों में कार्यवाही करे तब वादी के पास वाद पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद प्रस्तुत है। वादपत्र में वर्णित आराजी में वादी के साथ अन्य सह हिस्सेदार भी है लेकिन उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योकि उनके विरूद्ध वादी ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है। बिनाय वाद दिनांक 20.9.2017 को वादी द्वारा प्रतिवादी के नाम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश करने एवं प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार कर देने से बमुकाम जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ है। जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। इस प्रकार वकील वादी ने वादपत्र पेश कर माफिक वाद वादी के नाम दुरूस्त किये जाने की घोषणा करने की इस्तदूआ की।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प कावलियाकलां पेश हुई। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण ने जबाब पेश किया सा.मि. किया गया। बहस वकील वादी व सरकारी पेरोकार की सुनी गई। भू.अ. निरीक्षक से मौका फर्द ली गई, मौका फर्द में भी जाहिर किया गया की ग्राम फालका में चन्द्रसिंह पुत्र शेरसिंह एवं चन्दनसिंह का एक ही व्यक्ति हैं। चन्द्रसिंह नाम का ग्राम फालका में और कोई व्यक्ति नही हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद–पत्र के साक्ष्य सबूत में आधार कार्ड संख्या 221610120840, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र संख्या RJ/21/159/160235, एवं राशन कार्ड बारकोड संख्या 009035300730 की फोटो छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे वादीगण का सही नाम चन्दनसिंह पुत्र शेरसिंह ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से चन्द्रसिंह पुत्र शेरसिंह दर्ज नाम के स्थान पर चन्दनसिंह पुत्र शेरसिंह दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा फालका पटवार हल्का फालका में वादी व अन्य खातेदारों की पैतृक पुश्तैनी शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 367 रकबा 22 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 663 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1053 रकबा 20 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 675 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1040 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 1052 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा कुल 6 खसरा कुल रकबा 113 बीघा 02 बिस्वा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम चन्द्रसिंह पुत्र शेरसिंह के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम चन्दनसिंह पुत्र शेरसिंह दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक **04/05/2018** को लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र कावलियांकलां सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner